

उपरोक्त किया जाता है कि अर्पण फ्री एंजायस
 लडाघाट का आवेदन प्राप्त हुआ है. इनके ग्राम मोहगांवघाट
 में खसरा नं. 396 में 69.22 एकड़ भूमि की विज्ञापित हुई है.
 उक्त भूमि वर्तमान में वन विभाग के कुम्पाट में 801 एवं
 809 का भाग है.

अर्पण फ्री एंजायस के वन में स्वापवर्तन
 का आवेदन किया गया है, वन संरक्षण अधिनियम
 2006 के तहत ग्राम स्वीम वन समिति उक्त खदान
 शुरू करने की अनुमति करती है. चूंकि यहां के गरीब
 लोगों का रोजगार विद्येगा उक्त भूमि में किसी को कोई
 पट्टा या अधिकार नहीं दिया गया है. यह प्रतिक्रिये वन भूमि है

वाले उपाहित किया हो सत्य हो,
 वन समिति

अध्यक्ष
 वन सुरक्षा समिति
 मोहगांवघाट
 अध्यक्ष
 वन समिति मोहगांवघाट

- 1) नैमिन्द्र शर्मा (अध्यक्ष)
- 2) मिनेन्द्र पानधी (उपाध्यक्ष)
- 3) आहुला पट्टे (सचिव)
- 4) लोचन पट्टे (सदस्य)
- 5) पाण्डुरंग सारंगजन (सदस्य)
- 6) किरण शर्मा (सदस्य)
- 7) सलोन लोचन शर्मा (सदस्य)
- 8) अनिता पंडे (सदस्य)
- 9) अमल्य लोचन (सदस्य)
- 10) मोहनलाल पट्टे (सदस्य)

सचिव वन सुरक्षा समिति
 लोचन पट्टे
 पाण्डुरंग सारंगजन

अमता लोचन
 मोहनलाल पट्टे

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, पटना

श्रीम पं..... श्री राजशंकर झा
 जिला..... राजशंकर झा
 दि. च. अक्षय तृतीया
 माह..... अक्षय शुक्ल
 वर्ष..... 2016-17 / 24/10/16
 तह. अक्षय तृतीया

संख्या	उपस्थित पक्षों के नाम	दिनांक	बैंक में किया गया कार्य		पारा हूय प्रस्ताव	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
			संक्षेप में की गई कार्यवाही	(4)		
(1)	नेशनल बैंक (भारत)	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
(2)	आर्य समाज (पटना)	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
(3)	राजशंकर झा	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
(4)	कोच-चन्द (पटना)	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
(5)	फिकरन मुंडा (पटना)	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
(6)	श्रीलाला पटेल (पटना)	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
(7)	श्रीमान डाक्टर (पटना)	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान
(8)	मिनिशवरी पारधी (पटना)	दार्जिलिंग	उपस्थित किया जाता है कि धारण किये गये पत्रों का ब्याज दर का निर्धारण किया गया है।	(5)	उक्त प्रस्ताव सर्व स्वीकृत किया गया है।	सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान

सर्वकार एवं पक्षों के हस्ताक्षर एवं अंगठे का निशान

अक्षय तृतीया

दार्जिलिंग


श्री राजशंकर झा


-: उपखंड स्तरीय समिति का सहमति पत्र :-


प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक/मेसर्स "अर्पण फेरो एलाय (एलाय) सालाघाट" द्वारा तहसील वारासिवनी के ग्राम मोहगांवघाट के रकबा 69.22 एकड़ क्षेत्र पर मैग्नीज और खनिज का खनिपट्टा हेतु खसरा नं. 396 वर्तमान वनकक्ष 807 एवं 809 का भाग है। आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत मैग्नीज और खनिज का खनिपट्टा हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।
- 2- उपरोक्त संबंध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया गया है।
- 3- ग्राम पंचायत मोहगांवघाट, जनपद पंचायत खैरलांजी द्वारा भी व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है और अनापत्ति प्रदान की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले मैग्नीज और खनिज का खनिपट्टा कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है।


(सचिव)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत वारासिवनी
उपखंड स्तरीय वन अधिकार
समिति वारासिवनी


(सदस्य)
उपवन मंडलाधिकारी
दक्षिण (सामान्य) वन मंडल
उपखंड स्तरीय वन अधिकार
समिति कटंगी



(अध्यक्ष)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) वारासिवनी
उपखंड स्तरीय वन अधिकार
समिति वारासिवनी


-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक/मेसर्स "अर्पण फेरो एलाय बालाघाट" द्वारा तहसील वारासिवनी के वनपरिक्षेत्र खैरलांजी अंतर्गत वनखंड मोहगांवघाट के कक्ष क्रमांक पी-807 एवं पी-809 में रकबा 69.22 एकड़ (28.02 हेक्टे.) क्षेत्र पर मैग्नीज और खनिज का खनिपट्टा हेतु आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में कलेक्टर जिला बालाघाट का प्रमाण पत्र की मांग की गई है।
- 2- उपरोक्त संबंध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया गया है।
- 3- ग्राम पंचायत मोहगांवघाट, जनपद पंचायत खैरलांजी द्वारा भी व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है और अनापत्ति प्रदान की गई है।
- 4- उपखंड स्तरीय समिति के पत्र क्रमांक/5386/स्टेनो/2016 वारासिवनी दिनांक 21/12/2016 के द्वारा सहमति पत्र प्रदाय किया गया है।
- 5- वन भूमि के व्यपवर्तन के फल स्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः जिला स्तरीय वन अधिकार समिति एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है।


(सचिव)
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, बालाघाट
जिला बालाघाट
समिति


(अधीक्षक)
वन मंडलाधिकारी
दक्षिण (सामाजिक) वनमंडल
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति


(अध्यक्ष)
कलेक्टर
COLLECTOR
जिला बालाघाट
समिति

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बालाघाट

Email : twelfarebal@nic.in, Ph. (07632) 248405

॥ ज्ञापन ॥

क्रमांक / 8016 / वन अधि. / आवि / 2016-17
प्रति,

बालाघाट, दिनांक 20/01/2017

✓ मेसर्स अर्पण फेरो एलाय बालाघाट
जिला-बालाघाट


विषय :- वन व्यवस्थापन की कार्यवाही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

—00—

विषयांतर्गत आपके पत्र दिनांक 27/09/2016 द्वारा वन व्यवस्थापन की कार्यवाही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तत्संबंध में उपखंड/जिला स्तरीय वन अधिकार समिति एवं कलेक्टर महोदय द्वारा Annexure-2 का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा रहा है।

संदर्भ :- यथोपरि।



सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 20/01/2017

पृ. क्रमांक / 8016 -ए/ वन अधि. / आवि / 2016-17
प्रतिलिपि :-

1- कलेक्टर, महोदय, जिला-बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास बालाघाट

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Balaghat

No.....8016..

Dated...20/11/17

Balaghat,

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **69.22 Acre (28.02 Hec.)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Arpun Ferro Alloys Manufactur of Farro Manganese Kosmi Balaghat** name of user agency) for **Magnies Excavation Work** purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Khairlanji (T.) Forest Block Mohgoanghat **Tah./Block -Waraseoni, Village- Mohgoanghat in 69.22 Acre. (28.02 Hec.) in applied Compartment No. P-807 & P-809 forest land** village(s) in **Waraseoni** tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **69.22 Acre (28.02 Hec.)** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexuretoannexure.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular /local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Mohgoanghat, Th. Waraseoni** villages(s) is enclosed as annexure.....to annexure
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

18/11/17
(Full name and official seal of the
District Collector)

**COLLECTOR
BALAGHAT**

अनुसूचीभाषीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालयी के द्वारा, कार्यालयी डलेक्टर (आधिकारिकी विभाग) बालाघाट के पत्र क्र. / 3391 / वन अपि. / मणिकि / 2016-17 बालाघाट दिनांक 03.10.2016 के परिप्रेक्ष्य में, किये गये निर्देश के अनुपालन में, प्राप्त दिनांक 29.10.2016 को स्थल पर परीक्षण/ भवलोहन किया गया। स्थल भवलोहन/ परीक्षण के दौरान, मोठा स्थल पर वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री प्रमोद सिंह, (सा.व.स. वन परिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र खैरलांजी, वन कक्ष क्रमांक 807 एवं 809 के परिषेत्र सहायक श्री दिलीप उठे व अन्य वन विभाग के अधिकारी कमपारीगण, राजस्व विभाग की ओर से राजस्व निरीक्षक श्री नुनाराम-राहंगडाले, ग्राम मोहगांव घाट के पटवारी कुं प्रीती खोनी, ग्राम खरपंच पति श्री मुंडेरा देवाम अप्पि डेरो से श्री खमीर शेख सहित अन्य ग्रामिणजन उपस्थित थे। प्रपि केरो एलायन्समें यु प्रेक्षार प्राप्त फारो मणिकि बालाघाट को वन भूमि, वन क्षेत्र मोहगांव घाट, वि. ए. - खैरलांजी के खसरा क्रमांक 396, वन कक्ष क्रमांक 807 एवं 809 की 69.22 एकड़ वन भूमि पर खनन के लिए अनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने के खंड में स्थल पर प्राप्त एवं वाची गई जानकारी निम्नानुसार है -

- 01) यह कि ग्राम मोहगांव घाट, बिकास खण्ड खैरलांजी के अन्तर्गत है वन क्षेत्र मोहगांव घाट का कक्ष क्रमांक 807 एवं 809 में प्राप्त की गयी 69.22 एकड़ भूमि खनन से वन भूमि में परिवर्तित है तथा वन भूमि के नक्शे में दर्शित है।
- 02) पूर्व में यह भूमि खण्ड के नक्शे में खनन तब दर्ज रही है व वर्तमान में राजस्व के नक्शे में दर्ज न होकर वन विभाग को हस्तांतरित है।
- 03) उक्त आवेदित वन भूमि पूर्व में भिलाई स्थित फ्लाट को खनन 1986 से 1988 तक अधिसूचित न किये में रही है, वर्तमान में आवेदित उक्त भूमि पर भिलाई स्थित फ्लाट के अधिनियम व अन्य किसी फर्म का वैधानिक / भवैधानिक कब्जा/अतिक्रमण नहीं पाया गया है।
- 04) आवेदित वन भूमि खम्बा 69.22 एकड़, कक्ष क्रमांक 807 एवं 809 की है। यह आवेदित भूमि वन भूमि है एवं ग्राम मोहगांव घाट के मुसलमान योत्ता के लालाक के उपर से पहाड़ी लकड़े उपरी छोर तक विद्यमान है। इस वन भूमि पर खनन करने वाले वन-24 विद्यमान है। उक्त वन भूमि के खम्बा 69.22 एकड़, वन कक्ष क्रमांक 807 एवं 809 पर परीक्षण में वनाधिकार अधिकारियों (05/06/07/08) के तहत किसी अनुप्राप्त जाति अथवा अन्य क्षेत्र परमपरागत वन निवासी का पाया गया है। उक्त वन भूमि कब्जा विहीन, अतिक्रमण विहीन होना वाची गयी है। उक्त वन भूमि पर किसी मालिक का वनाधिकार अधिकारियम 2006/2008 के तहत आवेदन भी किसी स्तर पर ग्राम वनाधिकार समिति स्तर पर न प्राप्त हुआ है, और न ही लिखित है।
- 05) इस आवेदित वन भूमि पर किसी ग्रामवासी, किसी अनुप्राप्त जाति अथवा अन्य परमपरागत वन निवासी को वनाधिकार अधिकारियम 2006/2008 के तहत वनाधिकार हक प्रमाण पत्र (पट्टा) प्रदाय नहीं किया गया है।
- 06) वनाधिकार अधिकारियम 2006/08 के तहत चलाये गये विशेष अधिसूचना के तहत प्राप्त 05 आवेदन, आवेदित भूमि से संबंधित नहीं है। अन्य कक्ष से संबंधित है।

पंचनामा खान पर खरपंच के तहत खनन करने वाले वन निवासी

दिया गया हो खय है.

दीप
29/10/2016
खैरखाना

खैरखाना
c.o.c.w.
Bgt.

खैर
29/10/16
पठाना-06

खैर
29-10-16
का पक्ष खैरखाना

खैर
29-10-16
स.प.स. कलारी

खैर
29.10.16
का पक्ष यमुना
खैरखाना

खैर
खैरखाना

खैर
29/10/16 का पक्ष खैरखाना

खैर
का पक्ष खैरखाना
29/10/16

खैर
खैरखाना